न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—78/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/78)

1. श्रीमती जमना पत्नी स्व0 श्री श्यामलाल,
2. दिलीप पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल,

समस्त जातियान रेगर हाल निवासी ठक्कर बप्पा कॉलोनी, राजस्व मिलन सोसायटी एस0जी0 बर्वे मार्ग, बुद्धा टैम्पल के पास, चैम्बर मुम्बई महाराष्ट्र।

अपीलांट्स

बनाम

1. बालमुकुन्द पुत्र श्री किस्तूरा आयु करीबन 49 वर्ष जाति रेगर निवासी गांव डूंगरिया खुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. गोविन्द पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल
3. विजय पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल

जातियान रेगर निवासी ठक्कर बप्पा कॉलोनी, राजस्व मिलन सोसायटी एस0जी0 बर्वे मार्ग, बुद्धा टैम्पल के पास, चैम्बर मुम्बई महाराष्ट्र।

4. गूदडमल पुत्र स्व0 श्री छीतर जाति रेगर निवासी गांव डूंगरिया खुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.12.2022 राजस्व वाद संख्या 33/2022 उनवानी बालमुकुन्द बनाम श्रीमती जमना व अन्य में पारित किया।

उपस्थितः—

1. श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 28.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि हाल प्रत्यर्थी संख्या–1 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.57 है0 है। उक्त भूमि में प्रार्थी कदीमी काल से स्वंय की खातेदारी की पूर्व दिशा की ओर लगते हुए खेत खसरा नम्बर 117 की सीमा से आवागमन करता आ रहा है। इसलिए उसको खसरा नम्बर 117 में से करीबन 30 फुट चौडा रास्ता दिया जावे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया हाल अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 को जरिए सम्मन तलब किया गया। हाल अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध दिनांक 17.10.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थनापत्र बगैर हाल अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 4 को सुनवाई का अवसर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 16.12.2022 के द्वारा स्वीकार किया गया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि हाल अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 4 को नोटिस की सम्यक तामिल करवाये बिना उनकी तलबी को पूर्ण मानते हुए प्रकरण में दिनांक 17.10.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश प्रदान कर दिये। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम बार दिनांक 02.05.2022 को आगामी पेशी दिनांक 06.06.2022 के लिए नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. जारी किये गये परन्तु तलबी पूर्ण नही होने के कारण अधिवक्ता हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिए अखबार करवाये जाने का निवेदन किया परन्तु जानबूझकर के उक्त नोटिस पुष्कर के समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवाये गये जबकि अधिवक्ता हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह पूर्ण जानकारी थी कि हाल अपीलान्ट व प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3 बम्बई में निवास करते है। जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त कार्यवाही केवल मात्र तामिली दर्शाकर प्रकरण को बगैर सुनवाई का अवसर दिये निर्णित करने हेतु की गयी है। हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास स्वंय के खातेदारी खेत में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है जिस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रास्ते को लघुत्तम/निकटतम रास्ता मानते हुए उक्त आदेश पारित कर दिया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को सुविधा के लिए रास्ता नही दिया जा सकता। मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व तहसीलदार, पुष्कर के द्वारा हाल अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 4 को नोटिस नहीं दिया गया तथा उनकी गैर मौजूदगी में बाला बाला उक्त रिपोर्ट बनाई गयी इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर की आदेशिका में रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु कोई आदेश अंकित नही है तो फिर तहसीलदार, ने किसके आदेश से यह रिपोर्ट तैयार कर प्रकरण में भिजवाई। हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना–पत्र को प्रस्तुत करने का कारण किस दिनांक को उत्पन्न हुआ यह प्रार्थना–पत्र में कही पर भी अंकित नही किया है, जबकि हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपने प्रार्थना–पत्र में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कारण किस दिनांक को उत्पन्न हुआ यह अंकित करना अति आवश्यक था। मौका रिपोर्ट में यह अंकित था कि हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने पड़ौसी के खेते में से जाता है परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट में यह कहीं पर भी साफ तौर से अंकित नही किया गया है कि वह किस पडौसी के खेत से जाता है तथा अन्य वैकल्पिक मार्गो के बारे में भी उक्त मौका रिपोर्ट में कोई उल्लेख नही किया गया है। जिस तथ्य की जानकारी भी अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से प्राप्त नहीं की तथा अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय दिनांक

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

16.12.2022 पारित किया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है उन्हें प्रकरण में किसी भी प्रकार से किए गए निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमनें अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 2.5.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.6.2022, 27.6.2022 व 8.8.2022 में अप्रार्थीगण की इंतजार तामीली रिपोर्ट में नियत रही। दिनांक 29.8.2022 को प्रार्थी अभिभाषक व पैरोकार सरकार उपस्थित हुए व प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 05 नियम 20 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण की तलबी अखबार साये के माध्यम से करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण 1 से 6 दिनांक 10.10.2022 को नियत की गई। प्रार्थी अभिभाषक ने अखबार साया की प्रति पेश की जिसे शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.10.2022 को नियत की गई। दिनांक 17.10.2022 को प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित पैरोकार सरकार उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी संख्या 06 दिनांक 14.11.2022 को नियत की गई। दिनांक 5.12.2022 को जवाब सरकार हेतु नियत की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 16.12.2022 को प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित व पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 02.05.2022 को आगामी पेशी दिनांक 06.06.2022 के लिए नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए. डी. जारी किये गये परन्तु तलबी पूर्ण नही होने के कारण अधिवक्ता वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण/अपीलांट्स की तलबी जरिए अखबार करवाये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त नोटिस समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवाये गये तथा अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण मानते हुए दिनांक 17.10.2022 को उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इस संबंध में अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया कि वर्तमान अपीलांट तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 4 की तामील प्रक्रिया सम्यक रूप से नहीं की गई। इस संबंध में हमने सीपीसी के आदेश 5 का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से नोटिस तामीली की प्रक्रिया का वर्णन है जिसमें सर्वप्रथम वाद दर्ज किए जाने के बाद साधारण नोटिस जारी किए जाने चाहिए यदि साधारण नोटिस सम्यक रूप से तामील नहीं हो तो पुनः रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए जाने चाहिए तथा यदि इसके उपरांत भी नोटिस तामील नहीं हो पाते हैं तो पक्षकार के निवास स्थान पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र के जरिए अखबार साया करवाया जाकर सम्यक रूप से तामील करवाई जानी चाहिए। इस संबंध में हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस में तथा राजस्व प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2), अप्रार्थी संख्या 3/अपीलांट संख्या 2, अप्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

संख्या 4 वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 3 जिनका हाल पता मुम्बई महाराष्ट्र का होना अंकित है। किंतु प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 5 नियम 20 पेश कर उक्त पक्षकारान को जरिए अखबार साया दैनिक नवज्योति अजमेर संस्करण में प्रकाशित किए गए। दिलीप, गोविन्द, विजय पुत्र श्यामलाल हाल मुम्बई में निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको जरिए अखबार साया नोटिस अजमेर में तामील करवाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

हमारे द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2022 का अवलोकन किया गया जो कि आई0एल0आर0 कडैल एवं पटवार हल्का द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई उक्त मौका रिपोर्ट में बिंदु संख्या 1 में यह अंकन है कि " प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत पर जाने के लिए पडौसी खातेदार के खेतों में से आता जाता है। मौके पर कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।" किंतु उक्त बिंदु संख्या 1 में आई0एल0आर0 कडैल एवं पटवार हल्का कडैल ने प्रार्थी वर्तमान रेस्पोडेंट किस खातेदार के खेत से आवागमन करता है यह कहीं अंकन नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क में अधिकतम 30 फीट रास्ता देने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 को अधिकतम 30 फीट का रास्ता किन आधारों पर दिया गया इस बाबत भी ना तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 में कोई अंकन है ना ही मौका पर्चा में कोई अंकन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क में यह भी अंकन किया गया है कि मात्र सुविधा हेतु रास्ता नहीं दिया जा सकता रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिक रूप से नोटिस तामील नहीं करवाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की है तथा रास्ते को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क में अधिकतम 30 फीट बिना किसी विवेचन के स्वीकृत कर विधिक त्रुटि कारित की है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 के नियम 17, 18 व 19 की पालना करते हुए प्रार्थना–पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर वैकल्पिक मार्ग का अंकन करते हुए उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व 30 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है या नहीं समुचित विश्लेषण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर में दिनांक 18.12.2024 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से क्रम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

28/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner